

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1088 / 2025

सुलोचना

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) एवं पंचायत राज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-1।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोविंदगढ़, जयपुर।
5. सरोज/राकेश, ए.एन.एम. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसी, बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025

आदेश की दिनांक : 17.02.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गरसा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, केवियटर

समक्ष :- चेतन राम देवडा, सदस्य

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलपुरा, गोविंदगढ़, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसी, बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़ निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को संमजित करने के उद्देश्य से 450 कि. मी. दूर किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.04.2020 के द्वारा अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ए.एन.एम. के पद पर उप केन्द्र कुशलपुरा, गोविंदगढ़, जयपुर में हुई थी। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 15.06.2022 के द्वारा अपीलार्थी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलपुरा बांसा, जयपुर-1 में स्थानान्तरित किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है अपीलार्थी का नाम सुलोचना है, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग

करते हुए अपीलार्थी का नाम सुलोचना चौधरी अंकित किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियम-2011 के नियम 8 (iii) का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत राज विभाग से अनुमति लिए बिना ही जिले से बाहर कर दिया गया है, जो अनुचित एवं विधि-विरुद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान ए.एन.एम. के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशालपुरा, गोविंदगढ़, जयपुर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायाहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य